न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/40/2018

अपीलार्थी **बनाम** **प्रत्यर्थी**

श्री कुलदीपक पुत्र श्री गुरमुखदास आहूजा
व्यवसाय वकालत, कार्यालय कोर्ट कैम्पस के पीछे,
पुराना बस स्टैण्ड, तिजारा जिला–अलवर (राज0)

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर)

प्रवेश तिथि : 16.02.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 20.03.18

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 05.01.2018 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला–अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके न्यायालय के राजस्व वाद सं0 246/14 बअनुवान दयाराम बनाम लक्ष्मणसिंह वगै0 में वादी दयाराम द्वारा प्रस्तुत रसीद फोटोप्रति की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 05.01.2018 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रा0पत्र दिनांकः 09.02.2018 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2017/1900–01 दिनांकः 16.02.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 05.03.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः लोक सूचना/2018/214 दिनांकः 12.03.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मुण्डावर (अलवर) द्वारा पत्रांकः लोक सूचना/2018/4814 दिनांकः 09.01.18 के माध्यम से आवेदक को इस आशय की सूचना प्रेषित की गई है कि ''उक्त वाद में आपके द्वारा चाहे गये दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न है, जिसकी नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि दिया जाना उचित नहीं है।''
8. प्रथम अपीलोत्तर से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना, संबंधित पत्रावली में फोटोप्रति के रूप में संलग्न होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई है।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी सूचना को साधारणतया उसी रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि यह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो। निदेशक, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं0

11/2/2008–आईआर दिनांकः 10.07.2008 के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) की व्याख्या की है कि "यह नोट करना आवश्यक है कि उक्त प्रावधान {सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9)} का मतलब सिर्फ इतना भर है कि ***यदि जानकारी छायाप्रति के रूप में मांगी गई है तो यह छायाप्रति के रूप में मुहैया कराई जाए*** और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाती है तो अधिनियम में दी गई शर्तों के अधीन इसे फ्लॉपी के रूप में मुहैया कराया जाए इत्यादि। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को मुहैया कराएगा।'

10.उक्त निर्देशों के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) को निर्देशित किया जाता है कि **अपीलार्थी द्वारा प्रा.पत्र दि0 05.01.2018 में वांछित दस्तावेजों पर "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत फोटोप्रति की फोटोप्रति जारी" की मोहर अंकित कर** अपीलार्थी को उक्त आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में आवश्यक रूप से निःशुल्क ही पंजीकृत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

11. अतः उक्त आलोक में अपील उक्तानुसार स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)